न्यायालय नायब तहसीलदार ...पीसवा... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी   राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का कालेड़ा

बनाम

अप्रार्थी :– श्री मिरूखाँ / टिम्मदखाँ पिनारा निवासी कालेड़ा अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या ...39.../2018

निर्णय   दिनांक 4.07.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालेड़ा ने अप्रार्थी के विरूद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत 2075 में सरहद कालेड़ा के खसरा नम्बर ..409.. की किस्म गै.मु. रास्ता में रकबा 0.00378 बीघा भूमि में मकान बनाकर लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी .... से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ....—........ ने दिनांक ....—.......... को उपस्थित होकर ....—......................... प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया अप्रार्थी द्वारा ग्राम कालेड़ा के खसरा नम्बर 409 किस्म गै. ...रास्ता... में रकबा 0.00378 बीघा की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 12/– रूपये प्रति बीघा की दर से अतिक्रमित रकबा 0.00378 की भूमि का 0.0454 रूपये लगान का 50 गुणा 2.00 ..../– अक्षरे ...दो... रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 4.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीसवा